विकास बैंक (सिडबी) को निम्न लागत वाली निधियां जुटाने की अनुमति, 2 लाख रु० तक के ऋणों पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त न करना, नए उद्यमियों, जो सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों या अन्य पक्ष गारंटी दे पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो सहायता प्रदान करने के लिए सम्पार्श्विक आरक्षित निधि की स्थापना, महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में/के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए लघु उद्योग आधारिक विकास निधि की स्थापना, रूग्ण लघु उद्योग एककों की परिभाषा में परिवर्तन, राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समिति (एसएलआईआईसी) को सांविधिक शक्तियां देना, अलग से एक गारंटी संगठन की स्थापना और 1000 अतिरिक्त विशेषज्ञ शाखाएं खोलना इस समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से है।

इस समिति ने ये सिफारिशें भी की हैं: सिडबी को राष्ट्रीय कृषिक और ग्रामीण विकास बैंक के समकक्ष लाने के लिए उसकी भूमिका और हैसियत में वृद्धि की जाए। लघु उद्योगों के विभिन्न उप क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के बारे में सुझाव दिए जाएं, बैंकों से लघु उद्योगों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ सीमाएं मंजूर की जाएं और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की पहल और आरंभिक संग्रह (कोरपत) लेकर पुनर्निमाण निधि की स्थापना करना ताकि शाखा प्रबंधकों को ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं के लिए आरंभिक संग्रह (कोरपस) मार्जिन मनी, यदि आवश्यक हो, प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके, अत्यन्त लघु क्षेत्र को सिडबी के संसाधनों का कम से कम 40 प्रतिशत निधारित किया जाए, लघु उद्योगों को संयुक्त रूप से सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी सीमा प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय निगमों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच अत्यधिक सहयोग हो, 10 लाख रु० की परियोजना लागत वाले ग्रामीण औद्योगिक एककों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय इक्विटी निधि जैसी निधि की नाबार्ड स्थापना करे, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग ओम्बवहसमैन योजना में शामिल न किए गए प्रत्येक बैंक में शिकायतों के लिए अलग से ओम्बवहसमैन की नियुक्ति किया जाना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समिति की सिफारशिों को सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक संघ, बैंक और राज्य सरकार सहित सरकारी विभागों जैसी विभिन्न एजेंसियों के परामर्श से जांच की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठा रहा है।

Facsimile of Dr. Ambedkar on Rs. 1000/- Note

4497. SHRI RAM NATH KOVIND:
SHRI S. PETER ALPHONSE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to print Rs. 1000/- denomination notes and not the lower denomination notes bearing the facsimile of Dr. B.R. Ambedkar with the purpose of conferring honour on him; and

(b) if so, the date by which the denominations is likely to be printed/released and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) Government has taken a policy decision against printing of currency notes with any portrait other than that of the Father of Nation, Mahatma Gandhi. Accordingly, the proposed note of Rupee 1000 will also have the portrait of only Mahatma Gandhi.

एक लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया राशि

4498. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 30 अप्रैल, 1998 तक 75 हजार से भी अधिक व्यक्तियों पर, प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपये से भी अधिक आयकर की राशि बकाया थी; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार उनसे आयकर वसूल करने में असफल रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) दिनांक 31-12-1997 की स्थिति के अनुसार आयकर और निगम कर के क्रमशः 124492 तथा 25734 मामले है। जिनमें एक लाख और उससे अधिक की धनराशि बकाया है।

(ख) जी, नहीं। कर की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विस्तृत सांविधिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इनमें ब्याज, अर्थदंड लगाना, बैंक खातों की कुर्की, चल और अचल सम्पत्ति आदि की कुर्की और बिक्री आदि शामिल हैं। उच्च मागों वाले मामलों की आवधिक समीक्षा और निगरानी उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरन्तर आधार पर की जाती है और करों की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त बकाया मांग पूरी तरह से वसूली योग्य नहीं है क्योंकि इसमें न्यायालयों/समझौता आयोग/आयकर प्राधिकारियों आदि द्वारा रोकी गई मांगें शामिल हैं।

"फेरा" मामलों की कार्रवाई पूरा होने में विलम्ब

4499. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "फेरा" मामलों में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध-कार्रवाई 1995 से आज की तारीख तक पूरी नहीं की गयी है और उसके परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों को अभी तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरूद्ध 1995 से फेरा मामलों के अधीन कार्रवाई पूरी नहीं की गयी है और प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार प्रत्येक मामले में असामान्य विलम्ब की समीक्षा करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि कुछेक जटिल समूह के मामलों में जांच में काफी समय लग जाता है जिसके कारण विलम्ब हो जाता है। वर्ष 1995 से लेकर अब तक जांच के लिए हाथ में लिए गए मामलों की संख्या और ऐसे मामले जिनमें कारण बताओ नोटिस (एस०सी०एन०) जारी किए गए हैं तथा अभियोजन कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है, उनकी संख्या इस प्रकार है:—

सं०		1995	1996	1997	1998 (मार्च तक)
(i)	जांच के लिए हाथ में लिए गए मामले	5633	5486	5577	880
(ii)	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	2456	2291	2721	636
(iii)	अभियोजन कार्रवाई शुरू की गई	202	101	90	17

(ग) सरकार जांच/न्यायनिर्णयन/अभियोजन कार्रवाई के अंतर्गत बकाया मामलों की आवधिक रूप से समीक्षा करती है और उपयुक्त अनुदेश ी करती है।

फेरा मामलों में मुक्त किए गये व्यक्ति

4500. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फेरा मामलों में शामिल बहुत से व्यक्ति सरकार की लापरवाही और गलती की वजह से छोड़ दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्षों के दौरान उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फेरा मामलों में की जा रही कार्यवाई की समीक्षा की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार जांच/न्याय निर्णयन/अभियोजन के अधीन मामलों की आवधिक रूप से समीक्षा करती है और उपयुक्त अनुदेश जारी करती है।